कार्यकारी सारांश

इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की यह रिपोर्ट राजस्थान सरकार के चयनित विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा, राजस्व निर्धारण मूल्यांकन, संग्रहण और समुचित आवंटन पर प्रभावी जाँच के लिए नियम एवं प्रक्रियाएं डिज़ाइन करने तथा लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से सम्बंधित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है।

यह रिपोर्ट दो भागों में है। **भाग-क** में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों यथा वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा राज्य आबकारी की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गईं लेखापरीक्षा टिप्पणियां सम्मिलित हैं और **भाग-ख** में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियां सम्मिलित हैं। इस रिपोर्ट में 24 अनुच्छेद हैं, जिनमें ₹ 584.81 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

भाग क: राजस्व क्षेत्र

इस भाग में 16 अनुच्छेद हैं जिनमें ₹ 565.73 करोड़ अन्तर्निहित हैं, इसमें वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (i) 'माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी'- चरण II एवं (ii) 'माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली' सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

माल एवं सेवा कर

'माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी'- चरण II एवं '**माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली**' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी। पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी - चरण II

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटीसी में मिसमैच, कर देयता में मिसमैच और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत कर का भुगतान न करने से संबंधित विचलनों की जांच विभाग द्वारा संवीक्षा

के दौरान नहीं की गई थी। कर अधिकारियों द्वारा बिजनेस लेखापरीक्षा में विलम्ब हुआ क्योंकि 2020-21 में चयनित प्रकरणों में से दो प्रतिशत से भी कम प्रकरणों को विभाग द्वारा पूरा किया गया तथा 2019-21 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित कुल करदाताओं की संख्या पांच प्रतिशत के मानदंडों के समक्ष 0.22 प्रतिशत और 0.26 प्रतिशत के बीच थी। तीन वृत्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं की जाँच करने पर यह पाया गया कि एक वृत्त सिरोही में 2020-21 की अवधि के लिए 77 करदाताओं की पहचान विवरणी दाखिल नहीं करने वालों के रूप में की गई थी। इनमें से 72 करदाताओं (93.50 प्रतिशत) द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी किए जाने के बाद भी उचित विवरणियाँ दाखिल नहीं की गई थी। तथापि, विभाग ने अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर देयता का आंकलन करने और फार्म एएसएमटी-13 में निर्धारण आदेश जारी करने की कार्रवाई शुरू नहीं की।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में ₹ 2155.65 करोड़ की राशि के 286 प्रकरणों में आरजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा गया, जो कि डेटा में 926 विसंगतियों/मिसमैच का 30.89 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रत्युत्तर दिये। जोखिम मापदंडों जैसे कि जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच, सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी, वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच, जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में मिलान नहीं हुई आईटीसी, अस्थिर देनदारियाँ, ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी एवं जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया जाना लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध होना में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गयी। 23 प्रकरणों में फर्मों को फर्जी और अस्तित्वहीन/पता न चलने योग्य पाया गया, और मांग की गई राशि की वसूली नहीं की जा सकी।

विस्तृत लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 करदाताओं (लेखापरीक्षित 100 करदाताओं का 32 प्रतिशत है) के 225 मामलों में करदाताओं ने इस अवधि के दौरान नियत तिथि के बाद जीएसटीआर 3बी दाखिल किया, तथापि, कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 1.78 करोड़ का ब्याज नहीं चुकाया गया। एक प्रकरण में करदाता को लगभग ₹ 3.34 करोड़ की आईटीसी रिवर्स करनी थी, क्योंकि करदाता ने जीएसटीआर-9 में कर योग्य और शून्य दर/छूट वाली दोनों आपूर्तियों की घोषणा की थी। 14 प्रकरणों में करदाताओं ने कानूनी परामर्श और माल परिवहन एजेंसी द्वारा सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित सेवाओं की आवक आपूर्ति प्राप्त की, जिस पर आरसीएम के तहत ₹ 3.93 करोड़ का जीएसटी देय था। विभिन्न विवरणी और तालिकाओं में ₹ 260.07 करोड़ के आईटीसी मिसमैच के 99 प्रकरणों और ₹ 35.04 करोड़ की कर देयता के 54 प्रकरणों में मिसमैच पाया गया। एक करदाता ने वर्ष 2018-19 की बैलेंस शीट में ₹ 257.99 करोड़ के चालु दायित्वों को "ग्राहकों से अग्रिम" के रूप में दर्शाया गया था, तथापि,

जीएसटीआर-1 और वार्षिक विवरणी से पता चला, कि ग्राहकों से प्राप्त इन अग्रिमों पर कोई कर नहीं चुकाया गया था।

100 प्रकरणों के लेखापरीक्षा नमूने में से 95 प्रकरणों में क्षेत्राधिकार वाले वृतों द्वारा वित्तीय विवरण, ट्रॉयल बैलेंस, ऑडिटर की रिपोर्ट, जीएसटीआर 2ए एवं संबंधित दस्तावेजों जैसे मूलभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए, जिससे लेखापरीक्षा, करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणी में उपलब्ध जानकारी तक ही सीमित रही।

लेखापरीक्षा सिफ़ारिशें:

- **स्व-मूल्यांकन कर व्यवस्था के युग में, बिज़नेस लेखापरीक्षा, करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रमुख साधनों में से एक है। इसके अतिरिक्त, गैर-अनुपालन वाले करदाताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत एक समयबद्ध गतिविधि है। इसे देखते हुए, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि बिज़नेस लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के चयन को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए जैसा कि लेखापरीक्षा नियमावली में निर्धारित है और यह सुनिश्चित करना कि चयनित मामलों की लेखापरीक्षा समय पर पूरी हो जाए।**

- **विभाग को शेष रही बिज़नेस लेखापरीक्षा करने के लिए जैसा कि लेखापरीक्षा में बताया गया है, त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके और वसूली, यदि कोई हो, तो उसे किया जा सके।**

- **राज्य सरकार फर्जी इकाइयों/संस्थाओं के पंजीकरण और आईटीसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए पंजीकरण और निरस्तीकरण तंत्र को मजबूत कर सकती है।**

- **विभाग आईटीसी प्राप्ति के ऐसे मामलों की विस्तार से जाँच कर सकता है जहाँ कर योग्य और शून्य दर/छूट वाली आपूर्तियाँ दोनों हैं और जहाँ लागू हो, आईटीसी को रिवर्सल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।**

माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली

वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए ई-वे बिलों की लेखापरीक्षा में जांचे गये 65 करदाताओं में से 36 करदाताओं द्वारा अनुपालना संबंधित कुछ अनियमितताएँ पायी गयी, ये अनियमितताएँ पंजीकरण निरस्त होने की तिथि के बाद जनरेट किए गए ई-वे बिल, बिना किसी मांग के निरस्तीकरण आदेश जारी करना, तथा संदिग्ध वाहनों द्वारा किए गए लेन-देनों के लिए ई-वे बिल जनरेट करने से संबंधित थीं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा माल के लिए ई-वे बिल जनरेट

किये गए थे जिनमें कर योग्य माल का मूल्य निर्धारित पंजीकरण सीमा से अधिक था तथा अमान्य पिन कोड का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट किये गए थे।

लेखापरीक्षा में विभाग की प्रवर्तन इकाइयों द्वारा की गई निवारक तथा प्रवर्तन गतिविधियों में भी कमियाँ पाई गयी, जैसे कि अनुचित तरीके से शास्ति का आरोपण करना, नीलामी में देरी के कारण राजस्व की हानि, आरजीएसटी तथा सीजीएसटी का गलत तरीके से लगाया जाना, आपूर्ति की जगह का गलत वर्गीकरण, पहले से पंजीकृत करदाताओं के लिए अस्थायी जीएसटीआइएन जारी करना, माल एवं वाहन को रोके जाने पर लगाए गए कर तथा शास्ति की देयता के समायोजन में विलम्ब तथा एमआईएस रिपोर्टों में विसंगतियां एवं उनका कम उपयोग।

लेखापरीक्षा ने विभाग के ई-वे बिल पोर्टल पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड आधारित पहुँच की माँग की। तथापि, यह उपलब्ध नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि इन प्रकरणों में करदाताओं ने अपने जीएसटी रिटर्न में ई-वे बिल के अनुसार आपूर्ति का विवरण सही ढंग से प्रस्तुत किया था या नहीं।

लेखापरीक्षा की सरकार/विभाग के लिए निम्नलिखित सिफारिशें है:

- ***सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित कर सकती है कि पूर्वव्यापी रूप से पंजीकरण निरस्त करने वाले उचित अधिकारी, कर देयता का निर्धारण करें या जनरेट किये गये ई-वे बिलों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम निर्णय लें।***
- ***राज्य सरकार एनआईसी के साथ यह सुनिश्चित कर सकती है कि निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद ई-वे बिलों के जनरेट करने से रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन बनाए गए हैं।***
- ***राज्य सरकार एनआईसी के साथ मिलकर ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण लागू करने का प्रकरण उठा सकती है जिससे संदिग्ध वाहनों का उपयोग कर ई-वे बिल जनरेट होने से रोका जा सके।***
- ***विभाग को एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर विचार करना चाहिए जो क्षेत्राधिकारी को उन मामलों में जहाँ अधिनियम की धारा 129 तथा 130 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, समय पर एवं उचित कार्रवाई करने के लिए सचेत कर सके।***
- ***विभाग प्रवर्तन तथा नियमित वृत्तों के अधिकारियों को एमआईएस पोर्टल का व्यापक उपयोग करने एवं उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।***
- ***राज्य सरकार लेखापरीक्षा के लिए ई-वे बिल पोर्टल पर केवल-पठन योग्य पहुंच प्रदान करने को सुनिश्चित कर सकती है।***

भू-राजस्व

भू-राजस्व विभाग के अंतर्गत 704 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 104 इकाइयों का चयन वर्ष 2022-23 के दौरान नमूना जाँच के लिए किया गया था। नमूना जाँच में 16,138 मामलों में ₹ 175.38 करोड़ की राशि से संबंधित संपरिवर्तन, भूमि का प्रीमियम, सरकार को भूमि वापस न करने एवं अन्य से संबंधित अनियमितताएँ पाई गईं थी। इन चयनित इकाइयों की व्यय लेखापरीक्षा में भी 2,977 मामलों में निहित राशि ₹ 10.05 करोड़ से संबंधित अनियमितताएँ पाई गई।

पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

- राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के तहत खनन उद्देश्यों के लिए चारागाह भूमि के आवंटन से पहले समर्पित की गई भूमि के मूल्य का आंकलन न होने के कारण आवंटित चारागाह भूमि के मूल्य में अंतर ₹ 7.23 करोड़ की अवसूली।
- विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में संपरिवर्तन शुल्क जमा करने का प्रावधान शामिल न करने के कारण, ऑनलाइन आवेदनों के 184 मामलों में राज्य कोषागार को ₹ 13.68 लाख की निरंतर राजस्व हानि हुई।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में 559 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ (19 प्रशासनिक इकाईयों सहित) हैं। इनमें से, लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच हेतु 33 इकाईयों (एक प्रशासनिक इकाई सहित) का चयन किया। इन इकाईयों में 4,87,447 दस्तावेज पंजीबद्ध थे, जिनमें से 1,78,892 दस्तावेज (लगभग 36.70 प्रतिशत) विस्तृत जाँच हेतु चयनित किए गए। संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने 942 दस्तावेजों (नमूना दस्तावेजों का लगभग 0.53 प्रतिशत) में ₹ 15.68 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम प्राप्ति/अप्राप्ति पाई।

पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

- तीन उप पंजीयकों कार्यालयों में अचल संपत्तियों के तीन दस्तावेज़ पंजीकृत किए गए, जिनमें फर्म के मौजूदा साझेदार/साझेदारों की सेवानिवृत्ति के कारण अचल संपत्तियों में हिस्सेदारी मौजूदा/जारी साझेदारों/परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य साझेदारों को हस्तांतरित की गई थी, जिस पर हस्तांतरित हिस्सेदारी पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क के रूप में ₹ 2.25 करोड़ प्रभार्य था।
- चार उप-पंजीयक कार्यालयों में, राजस्थान निवेश एवं प्रोत्साहन योजना के तहत अचल संपत्तियों के पांच दस्तावेजों को मुद्रांक कर में 100/75 प्रतिशत की छूट के साथ पंजीकृत किया गया। क्रेता ने पहले से स्थापित इकाई खरीदी या विक्रेता ने औद्योगिक भूखंडों को बिना

इकाई स्थापित किए बेचा, जो योजना के तहत अनुमत नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ के मुद्रांक कर और सरचार्ज की अनियमित छूट के साथ ₹ 0.32 करोड़ का ब्याज भी वसूलनीय था ।

- पंजीकरण अधिकारियों द्वारा रेरा वेबसाइट पर डिजिटल रूप से उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण न करने के परिणामस्वरूप विकासकर्ता अनुबंध को संशोधित साझेदारी विलेख के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने के कारण मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 24.49 लाख का कम आरोपण किया गया ।

राज्य आबकारी

राज्य आबकारी विभाग की 108 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 32 इकाइयों (54 कार्यान्वयन इकाइयों में से 20 शामिल हैं) का चयन किया गया। 4,925 खुदरा अनुज्ञाधारी एवं 11,646 प्रकरणों के अभिलेखों की जांच में 6,797 प्रकरणों में (लगभग 58 प्रतिशत) राशि ₹ 512.38 करोड़ के राजस्व की अवसूली/कम वसूली और अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई। पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

- नीति के प्रावधानों को लागू करने तथा आबकारी आयुक्त के मौजूदा निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण वर्ष 2018-21 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर ₹ 5.84 करोड़ की अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं हो सकी।

- नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्रवाई न करने के कारण 2019-21 के दौरान 388 अनुज्ञाधारियों से देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की मासिक गारंटी राशि की वसूली न होने के कारण ₹ 11.76 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

- नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्रवाई न करने के कारण 2020-21 के दौरान 456 अनुज्ञाधारियों से कम उठाई गई देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की मात्रा पर बेसिक लाइसेंस फीस के रूप में ₹ 3.63 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

- नीति के प्रावधानों को लागू करने में कार्रवाई न होने के कारण, 2019-21 के दौरान 533 अनुज्ञाधारियों से देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी शुल्क के अंतर की वसूली न होने से ₹11.80 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

- विभाग ने 2021-22 के दौरान 222 अनुज्ञाधारियों से ₹3.11 करोड़ की शेष कम्पोजिट फीस की राशि वसूल नहीं की और अनुज्ञाधारियों को उनकी दुकानों के संचालन में अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

- अवधिपार बीयर स्टॉक पर आबकारी शुल्क का भुगतान न तो ब्रेवर द्वारा किया गया और न ही आबकारी विभाग द्वारा इसकी मांग की गई, परिणामस्वरूप वर्ष 2021-23 में ₹ 2.53 करोड़ आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हुई।

- 227 प्रकरणों में, संबंधित अनुज्ञाधारियों द्वारा ₹ 74.73 लाख की शमनीय राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा नहीं कराई गई थी। संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने न तो बकाया राशि वसूल की और न ही शमन आदेशों में उल्लेखित शर्तो के अनुसार ऐसे अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्र निरस्त किए तथा अनुज्ञाधारियों को बिना शास्ति का भुगतान किए व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी।

- विभाग 106 अनुज्ञाधारियों से वर्ष 2022-23 के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की कमी राशि ₹ 1.51 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।

- वर्ष 2021-23 के दौरान नीति और लाइसेंस की शर्तों के प्रावधानों को लागू करने में जिला आबकारी अधिकारियों की कार्यवाही की कमी के कारण मदिरा के गारंटी कोटा के कम उठाव पर ₹ 206.79 करोड़ की आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की अवसूली।

भाग खः अनुपालन लेखापरीक्षा

इस भाग में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय क्षेत्र से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ है।

प्रतिवेदन के इस भाग में, कार्मिक विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग से सम्बंधित ₹ 19.08 करोड़ की राशि के आठ अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं।

कार्मिक विभाग

- सितंबर एवं अक्टूबर 2021 के बीच, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक और पटवार परीक्षाओं के लिए फ्रिस्किंग सेवाओं के दो ठेके एक ही फर्म, इनोवेटिव्यू को दिए। लेखापरीक्षा में दोनों उपापन प्रक्रियाओं में अनेक अनियमितताएँ पाई गईं, जिनमें मिलीभगत से की गई बोली, अयोग्य पात्रता और प्रक्रियात्मक कमियां शामिल थीं। यह बोर्ड की उपापन प्रक्रियाओं में प्रणालीगत कमियों की ओर संकेत करता है।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

- नगर विकास न्यास (यूआईटी), जैसलमेर ने एक होटल के निर्माण के लिए 99 वर्ष की लीज पर नीलाम किए गए वाणिज्यिक भूखंड पर फर्म से नगरीय निर्धारण की राशि ₹ 1.17 करोड़

कम वसूल की। यूआईटी ने सभी वर्षों के लिए नगरीय निर्धारण की गणना 2.5 प्रतिशत की दर से की थी, जो यूआईटी द्वारा जारी की गई भूखंड की नीलामी की शर्त का उल्लंघन था क्योंकि इसमें प्रावधान था कि नगरीय निर्धारण (लीज राशि) पहले पांच वर्षों के लिए आरक्षित मूल्य की 2.5 प्रतिशत की दर से और आगे पांच प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना था।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- विभाग द्वारा ठेका दिए जाने से पूर्व भूमि और अनुमोदित नक्शे समय पर उपलब्ध नहीं करवाए गए और संवेदक द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के बावजूद विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अनुबंध को समाप्त करने या संवेदक के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। परिणामस्वरूप छह वर्ष व्यतीत हो जाने और ₹ 3.04 करोड़ व्यय होने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान 24 जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (डीईआईसी) के निर्माण पर ₹ 16.55 करोड़ व्यय किए, जिनका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की पहचान करना था जिनमें विकासात्मक विलंब, विकलांगता, जन्मजात विसंगतियाँ अथवा अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं या होने का खतरा है, और उनको समय पर तृतीयक स्तर के स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में रेफ़र और उनके साथ जुड़ने में सहायता करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 24 डीईआईसी में से किसी में भी प्रमुख नैदानिक या चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं थे एवं 12 डीईआईसी में उनकी स्थापना के पांच साल बाद भी कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं थे। ऐसा भारत सरकार द्वारा आवश्यक नैदानिक या चिकित्सा उपकरणों के लिए ₹ 22.91 करोड़ की राशि स्वीकृत किए जाने के बावजूद हुआ, क्योंकि इसमें से ₹ 21.87 करोड़ अनुपयोजित ही रहे। परिणामस्वरूप, जून 2025 तक, 12 डीईआईसी आंशिक रूप से क्रियाशील रहे एवं 12 डीईआईसी पूर्ण रूप से अक्रियाशील रहे, जिससे बाल विकास संबंधी विकारों और विकलांगताओं की पूर्व पहचान करने और इलाज करने का मुख्य उद्देश्य अधूरा रह गया है।

उच्च शिक्षा विभाग

- जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अक्टूबर 2021 में विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली के रखरखाव के लिए एक फर्म को ठेका दिया गया जो प्रमुख वित्तीय एवं तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। यह फर्म अनुबंध के दायित्वों को निभाने में विफल रही, 25 में से केवल 6 मॉड्यूल ही क्रियाशील थे, और प्रशिक्षित कर्मचारियों के लगातार अभाव के कारण 3 वर्षों के बाद भी प्रणाली का समुचित उपयोग नहीं हो पाया। इसके अलावा, निगरानी समिति द्वारा फर्म को किए गए भुगतान के न्यूनतम 50 प्रतिशत की वसूली और कार्य के दायरे को पुनर्भाषित करने की स्पष्ट सिफारिशों के बावजूद, विश्वविद्यालय ने अनुबंध को बढ़ाने से पहले न तो कोई सुधारात्मक कार्रवाई की और न ही प्रदर्शन का

पुनर्मूल्यांकन किया, और अनुबंध की पूर्ण राशि अर्थात् ₹18.44 करोड़ का भुगतान कर दिया जो अनुबंध प्रबंधन में गंभीर चूक को दर्शाता है।

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में ₹ 3.15 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक सेन्टर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्माल बिज़नेस मैनेजमेंट की स्थापना हेतु स्वीकृति (जनवरी 2017) प्रदान की, जिसमें ₹ 1.50 करोड़ भारत सरकार से एवं ₹ 1.65 करोड़ विश्वविद्यालय द्वारा योगदान किया जाना था। सेन्टर का निर्माण कार्य ₹ 1.85 करोड़ की लागत पर अगस्त 2020 मे पूर्ण हुआ। यद्यपि, विश्वविद्यालय ने केवल ₹ 1.50 करोड़ जमा किए जिसमें से ₹ 1.25 करोड़ पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए विपथन (जून 2017) कर दिए गए, जिसकी वजह से आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की खरीद नहीं हो पाई एवं सेंटर मई 2025 तक अक्रियाशील था।

स्वायत्त शासन विभाग

- जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की अपारदर्शी एवं अनियमित कार्यप्रणाली के कारण एक प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता से ई-बसों के उपापन के अनुबंध के निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप भारत सरकार की निधियों का उपयोग नहीं हुआ तथा जयपुर शहर के आमजन को पर्यावरण अनुकूल बसों की सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

सैनिक कल्याण विभाग

- व्यवहार्यता अध्ययन के अभाव के कारण एवं वांछित उद्देश्य के अनुरूप निर्माण-स्थल का चयन नहीं होने के परिणामस्वरूप, मार्च 2019 में निर्माण पूर्ण होने से पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्र, जोधपुर अप्रयुक्त रहा। इसके अलावा, दो वर्ष पूर्व प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बावजूद, सरकार ने संपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं किया।